

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./13/डी- 1393

दिनांक:- 4/10/13

### कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 102वीं बैठक दिनांक: 03.10.13 को मध्याह्न: 12.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिन्तन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में निम्नलिखित विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

क्र.सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		102:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक सं. 100 व 101 की कार्यवाही विवरण की पुष्टि व पूर्व बैठको में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक सं. 100 व 101 की कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी।
2.	12	102:2	ग्राम नंदगोव तहसील जयपुर के खसरा नं. 31/2 शा.नं. 51, 52, 54 रक्बा 60 बीघा 6 बिस्वा किस्म चरागाह में से 2000 वर्ग मीटर भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटन बाबत।	ग्राम नंदगोव तहसील जयपुर के खसरा नं. 31/2 शा.नं. 51, 52, 54 रक्बा 60 बीघा 6 बिस्वा किस्म चरागाह में से 2000 वर्ग मीटर भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया।
3.	12	102:3	ग्राम जैतपुरा तहसील चौमू के खसरा नं. 700 रक्बा 4.73 हैक्टेयर में से 0.05 हैक्टेयर किस्म चरागाह भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु आवंटन बाबत।	ग्राम जैतपुरा तहसील चौमू के खसरा नं. 700 रक्बा 4.73 हैक्टेयर में से 2000 वर्गमीटर किस्म चरागाह भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया।
4.	12	102:4	ग्राम बिहारीपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 687/802 रक्बा 0.07 हैक्टेयर किस्म चरागाह भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम बिहारीपुरा तहसील आमेर के खसरा नं. 687/802 रक्बा 0.07 हैक्टेयर किस्म चरागाह भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया।
5.	12	102:5	ग्राम गजाधरपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 149/2 रक्बा 47 बीघा 15 बिस्वा किस्म चरागाह में से 2000 वर्ग मीटर भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम गजाधरपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 149/2 रक्बा 47 बीघा 15 बिस्वा किस्म चरागाह में से 2000 वर्ग मीटर भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया।
	12	102:6	ग्राम निवारू तहसील जयपुर के खसरा नं. 63 रक्बा 1 बीघा 3 बिस्वा किस्म बरानी प्रथम में से 0.20 हैक्टेयर भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आवंटन बाबत।	प्रस्ताव संख्या 102:10 पर लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।
7.	12	102:7	ग्राम पीथावास तहसील जयपुर के खसरा नं. 161 रक्बा 17 बीघा 15 बिस्वा किस्म चरागाह में से 10 बिस्वा भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम पीथावास तहसील जयपुर के खसरा नं. 161 रक्बा 17 बीघा 15 बिस्वा किस्म चरागाह में से 2000 वर्गमीटर भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया।

16 आयुक्त (एल.पी.सी.)  
जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण

8.	12	102:8	ग्राम सुन्दरियावास तहसील जयपुर के खसरा नं. 27 रक्बा 03 बीघा 03 बिस्वा किस्म चरागाह में से 2000 वर्ग मीटर भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम सुन्दरियावास तहसील जयपुर के खसरा नं. 27 रक्बा 03 बीघा 03 बिस्वा किस्म चरागाह में से 2000 वर्ग मीटर भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया।
9.	12	102:9	ग्राम कोयतावाला तहसील जयपुर के खसरा नं. 55/1 रक्बा 21 बीघा 11 बिस्वा किस्म चरागाह में से 2000 वर्ग मीटर भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम कोयतावाला तहसील जयपुर के खसरा नं. 55/1 रक्बा 21 बीघा 11 बिस्वा किस्म चरागाह में से 2000 वर्ग मीटर भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया।
10.	12	102:10	ग्राम निवारू तहसील जयपुर के खसरा नं. 361 रक्बा 4 बीघा 16 बिस्वा किस्म बरानी-2 में से 2000 वर्गमीटर भूमि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हेतु आवंटन बाबत।	ग्राम निवारू तहसील जयपुर के खसरा नं. 361 रक्बा 4 बीघा 16 बिस्वा किस्म बरानी-2 में से 4000 वर्गमीटर भूमि प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया। खसरा नं. की शेष भूमि अन्य सजकीय कार्यालयों को भूमि आवंटन हेतु आरक्षित रखे जाने का निर्णय लिया गया।
11.	12	102:11	ग्राम लालचन्दपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 1 रक्बा 104 बीघा 08 बिस्वा किस्म चरागाह में से 1000 वर्गगज भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि आवंटन बाबत।	ग्राम लालचन्दपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 1 रक्बा 104 बीघा 08 बिस्वा किस्म चरागाह में से 2000 वर्गमीटर भूमि उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया।
12.	9	102:12	भूखण्ड संख्या ए-108, जविप्रा कर्मचारी कॉलोनी, टीलावाला, जयपुर के स्थान पर भूखण्ड संख्या बी-24, जविप्रा कर्मचारी कॉलोनी, टीलावाला, जयपुर विनिमय करने बाबत।	ग्राम टीलावाला में जविप्रा कर्मचारियों की आवासीय योजना में कॉर्नर भूखण्ड संख्या ए-108, क्षेत्रफल 195.30 वर्गमीटर श्री सुरेश चन्द्र शर्मा को आवंटित कर दिनांक 22.08.2007 को लौज डीड जारी की गयी थी। आवंटी द्वारा मौके पर कब्जा नहीं दिये जाने व न्यायिक वाद होने के कारण इसके स्थान पर भूखण्ड संख्या बी-24 विनिमय में दिये जाने का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन 9 की रिपोर्ट के अनुसार योजना में एक मात्र भूखण्ड संख्या बी-24 नॉन कॉर्नर क्षेत्रफल 220 वर्गमीटर रिक्त होना बताया है। पूर्व आवंटित भूखण्ड व विनिमय हेतु प्रस्तावित भूखण्ड का बिल्ट अप एरिया लगभग समान होता है। अतः भूखण्ड संख्या ए-108 के स्थान पर बी-24 क्षेत्रफल 220 वर्गमीटर विनिमय करने का निर्णय लिया गया। बड़े हुए क्षेत्रफल 25 वर्गमीटर को स्ट्रीप आफ लैण्ड मानते हुए आरक्षित दर की दुगुनी दर लिये जाने का भी निर्णय लिया गया।
13.	9	102:13	200 फीट एयरपोर्ट रोड ग्राम बुद्धसिंहपुरा में अवाप्त भूमि के बदले देय 5 प्रतिशत व्यावसायिक 570.00 वर्ग मीटर भूमि के बदले दुगुनी आवासीय 1140 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन करने बाबत।	200 फीट एयरपोर्ट रोड ग्राम बुद्धसिंहपुरा में अवाप्त भूमि के बदले देय 5 प्रतिशत व्यावसायिक 570.00 वर्ग मीटर भूमि के बदले दुगुनी आवासीय अर्थात् 1140 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन करने बाबत प्रार्थीगण खातेदारान ने आवेदन किया है। नियमों में अवाप्त भूमि के बदले अधिकतम 20 प्रतिशत व 5 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि दिये जाने का प्रावधान है। खातेदारान को 20 प्रतिशत आवासीय भूमि दी जा चुकी है शेष 5 प्रतिशत 570 वर्गमीटर व्यावसायिक भूमि दी जानी है। जोन क्षेत्रधिकार में व्यावसायिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण सननगरिया विस्तार योजना में आवासीय भूखण्ड संख्या बी-1, बी-7/ए. बी-430, बी-466/ए क्षेत्रफल 1143 वर्गमीटर आवंटन करना प्रस्तावित किया है। सनिति व्यावसायिक भूमि उपलब्ध न होने से दुगुनी आवासीय भूमि देने हेतु सैद्धान्तिक तौर पर सहमति व्यक्त करती है। प्रकरण अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

मं. प्रायुक्त (एल.पी.सी.)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

निम्नांकित अतिरिक्त एजेण्डा आयुक्त महोदय की अनुमति से प्रस्तुत कर विचार विमर्श पश्चात् निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

14.	13	102:13(1)	ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. नानपुरा माचेडी को भूमि आवंटन बाबत।	माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वजह घोषणा के बिन्दु संख्या 107 में "सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने की दृष्टि से ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को कार्यालय एवं गोदाम निर्माण हेतु भूमि का निःशुल्क आवंटन किया जायेगा" का उल्लेख है। इस संबंध में उपरजिस्ट्रार सहकारिता को भी बैठक में आमंत्रित किया गया। समिति द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. नानपुरा माचेडी को कार्यालय एवं गोदाम निर्माण हेतु ग्राम नानपुरा माचेडी तहसील आमेर के खसरा नं. 1910 रकबा 1.95 हेक्टेयर चरागाह में से 1000 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया।
15.	13	102:13(2)	मेहसाना-भटिण्डा गैस पाइपलाइन परियोजना की जयपुर भिवाड़ी स्परलाइन के लिए एस.वी. स्टेशन हेतु ग्राम रिसानी में भूखण्ड आवंटन बाबत।	वरिष्ठ प्रबंधक जीएसपीएल इण्डिया गैसनेट लि. ने स्परलाइन के एस.वी. स्टेशन हेतु 10000 वर्गमीटर भूमि आवंटन चाहा है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर मेहसाना-भटिण्डा गैस पाइपलाइन परियोजना की जयपुर भिवाड़ी स्परलाइन के लिए एस.वी. स्टेशन हेतु ग्राम रिसानी तहसील आमेर के खसरा नं. 245 रकबा 7.37 हेक्टेयर किस्म चरागाह में से 100 गुणा 100 मीटर अर्थात् 10000 वर्गमीटर भूमि जोन की वाणिज्यिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय लिया गया।
16.	9	102:13(3)	श्री दिगम्बर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान को ग्राम जयसिंहपुराबास जीरोता के स्थान पर अन्य भूमि आवंटन बाबत।	श्री दिगम्बर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान को नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प. 3(815)नविवि/3/2012 दिनांक 13.09.2013 के अनुसार मंत्रिमण्डल की आज्ञा 213/2013 के अनुसरण में राजस्थान नगरीय क्षेत्रों सार्वजनिक, चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन उच्च शिक्षार्थ गरीब विद्यार्थियों के लिए ग्राम जयसिंहपुराबास जीरोता (जगतपुरा) में 4000 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर की 5 प्रतिशत दर पर आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उपायुक्त जोन 9 की टिप्पणी के अनुसार मास्टर प्लान 2025 में खसरा नं. 327 अमानीशाह नाले के बहाव क्षेत्र में आ रहा है। अतः उपायुक्त जोन 9 के प्रस्तावानुसार उक्त भूमि की एक्ज में ग्राम रामचन्द्रपुरा (जेडीए स्कीम) के भूखण्ड संख्या 22 क्षेत्रफल 4238.38 वर्गमीटर में से 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटित किये जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया। इसका अनुमोदन राज्य सरकार से कराये जाने का भी निर्णय लिया गया।

उपायुक्त जोन 12 एवं 13 को निर्देशित किया गया कि उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति हेतु प्रस्तावित भूमि के आस पास जविप्रा स्वामित्व की भूमि का पी.टी. सर्वे करवाया जाकर गूगल पर सुपर इम्पोज कर मानचित्र निदेशक (आयोजना) को शीघ्र प्रस्तुत किया जावे तथा आयोजना प्रकोष्ठ द्वारा योजना बनायी जाकर प्रस्तुत की जावे। इस कार्यवाही के उपरान्त आवंटन पत्र जारी किए जावें।

बैठक सघन्यवाद समाप्त की गई।


सदस्य सचिव

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Seen  
Amit Kumar

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी-द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्कैन करने के लिये।
17. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

  
सदस्य सचिव

एवं

अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

## उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 102वीं बैठक दिनांक 03.10.13 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री अभय कुमार, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री विष्णु चरण मल्लिक, सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जवडा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
5.	श्री दीपक नन्दी, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम)	सदस्य
6.	श्री त्रिभुवनपति, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
7.	श्रीमती नलिनी कठोटिया, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
8.	श्री गिरि राज अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त (आरएमएण्डसी)	विशेष आमंत्रित
9.	श्री रामावतार गुर्जर, उपायुक्त जोन-3	विशेष आमंत्रित
10.	श्री केसरलाल मीणा, उपायुक्त जोन-9	विशेष आमंत्रित
11.	श्री हरीन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन-12	विशेष आमंत्रित
12.	श्री ओमप्रकाश सोलंकी, उपरजिस्ट्रार (सहकारिता)	विशेष आमंत्रित
13.	डॉ० एल.एल. दातोनिया, अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	विशेष आमंत्रित